क्रम-संख्या—548 (क)

रजिस्टर्ड नं. ए. डी.-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 31 अक्तूबर, 1980

कार्तिक 9, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (पुलिस) अनुभाग—5

संख्या 5197आर/आठ–अनु० 5–468–80

लखनऊ: अक्तूबर 31, 1980

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प० आ०—363

चूंकि आर्म्स रूल्स, 1962 की अनुसूची तीन के प्रपत्र तीन और पांच की शर्त संख्या 7 और प्रपत्र चार की शर्त संख्या 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां अधिसूचना संख्या एफ 18/2/62–1 पी–4 दिनांक 1 अक्तूबर, 1962 के अधीन राज्य सरकार को प्रतिनिहित की गयी हैं।

अतएव, अब, इस प्रकार प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 1823 आर/आठ-अनु0–5–858–77/दिनांक 28 अप्रैल, 1978 अतिक्रमण करके, राज्यपाल आदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, उत्तर प्रदेश आग्नेयास्त्र लाइसेंस धारियों द्वारा किसी कलेंडर वर्ष में तथा किसी एक समय में उपर्युक्त प्रपत्रों की उक्त शर्तों के अधीन गोला–बारूद क्रय करने या उसे कब्जे में रखने की अधिकतम सीमा निम्नलिखित होगी:—

(क) गोला–बारूद की अधिकतम मात्रा, जिसे किसी कलेंडर वर्ष में क्रय किया जा सकता है:—

(एक) प्रत्येक रिवाल्वर या पिस्तौल के लिये—पच्चीस कारतूस।

(दो) प्रत्येक अर्ध-स्वचालित या रिपीटिंग राइफल के लिये—50 कारतूस।

(तीन) प्रत्येक स्पोटिंग राइफल (हाई विलोसिटी से भिन्न-22 बोर को छोड़कर) के लिये- 100 कारतूस

(चार) प्रत्येक ब्रीच लोडिंग शाट गन के लिये

(क) केवल स्पोर्ट के लिये—एक सौ कारतूस ।

(ख) केवल आत्म सुरक्षा के लिये—एक सौ कारतूस ।

(पांच) प्रत्येक 22 बोर राइफल के लिये—एक सौ कारतूस ।

(छ) प्रत्येक मजिल लोडिंग गन के लिये—एक किलोग्राम ब्लैक पाउडर के साथ एक सौ दगाऊ टोपी) (Percussion caps) परकुसन कैप्स ।

(ख) गोला–बारूद की अधिकतम मात्रा जिसे किसी एक समय में रखा जा सकता है—

(एक) प्रत्येक रिवाल्वर या पिस्तौल के लिये—दस कारतूस ।

(दो) प्रत्येक अर्ध-स्वचालित या रिपीटिंग रायफल के लिए—पच्चीस कारतूस ।

(तीन) प्रत्येक स्पोर्टिंग रायफल हाई विलोसिटी से भिन्न-(22 बोर को छोड़ कर) के लिये—पच्चीस कारतूस ।

(चार) प्रत्येक ब्रीच लोडिंग शॉट गन के लिये—

(क) केवल स्पोर्ट के लिए—पन्द्रह कारतूस ।

(ख) केवल आत्म सुरक्षा के लिए—पन्द्रह कारतूस ।

(पांच) प्रत्येक 22 बोर रायफल के लिए—पच्चीस कारतूस ।

(छ) प्रत्येक मजिल लोडिंग गन के लिए—आधा किलोग्राम । ब्लैक पाउडर के साथ पचास दगाऊ टोपी (परकुसन कैप्स) :

परन्तु प्रत्येक लाइसेंसधारी जिसके कब्जे में उपर्युक्त विहित सीमा से अधिक गोला–बारूद हो, दिनांक 15 नवम्बर, 1980 तक लाइसेंस प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को गोला बारूद का अपना स्टाक घोषित करेगा और उस प्राधिकारी के पास अपने कब्जे में अतिरिक्त मात्रा में रखे गये गोला–बारूद को जमा करेगा।

आज्ञा से,
सुरत दास श्रीवास्तव,
गृह सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 5197-R/VIII—Sec. 5, 468-80, dated October 31, 1980.

No. 5197-R/VIII—Sec. 5, 468/80

Dated Lucknow, October 31, 1980

Whereas the powers exerciseable by the Central Government under condition no. 7 of Forms III and V and condition no. 6 of Form IV of Schedule III to the Arms Rules, 1962, have been delgated to the State Government under notification no. F-18/2/62(i)-P-IV, dated October 1, 1962 :

Now, therefore, in exercise of the powers so delegated and in supersession of Government notification no. 1823-R/VIII, Sec. 5, 858-77, dated April 28, 1978, the Governor is pleased to order that, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the maximum limits to which ammunition shall be purchased or possessed under the said conditions of the aforesaid forms by fire arms licensees in Uttar Pradesh in a calendar year and at any one time shall be as follows :

A. **Maximum amount of ammunition purchaseable in a calendar year :**

(i) Twenty-five cartridges for each revolver or pistol.

(ii) Fifty cartridges foreah semi-automatic or repeating rifle.

(iii) One hundred cartridges for each sporting rifle (except .22 bore other than high velocity).

(iv) For each breach loading shot gun—

(*a*) For sport only .... One hundred cartridges.

(*b*) For self-defence only .... One hundred cartridges.

(v) One hundred cartridges for each .22 bore rifle.

(vi) One hundred percussion caps with one kilogram of black powder for each muzzle loading gun.

B. Maximum amount of ammunition which may be possessed at anyone time :

(i) Ten cartridges for each revolver or pistol.

(ii) Twenty-five cartridges for each semi-automatic or repeating rifle.

(iii) Twenty-five cartridges for each sporting rifle (except .22 Bore other than high velocity).

(iv) For each breach loading gun—

(*a*) For sport only .. fifteen cartridges.

(*b*) For self-defence only .. fifteen cartridges.

(v) Twenty-five cartridges for each.22 bore rifle.

(VI) Fifty percussion caps with half a kilogram of black powder for each muzzle loading gun :

Provided that a licensee having in his possession ammunition in excess of the limits prescribed above shall declare his stock of ammunition to, and deposit the excess quantity of ammunition possessed by him with, the licensing authority or any person authorised by it in this behalf, not later than 15th November, 1980.

By order,

S. D. SRIVASTAVA,

Home Secretary.

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 93 सा0 गृ:-111-80-(2544)-1980-300 (मेक0)